

यह फार्म निःशुल्क उपलब्ध है
ऊर्जा की आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम : आवेदक का नवीनतम फोटो चिपकाएं
(राजपत्रित अधिकारी/बैंक अधिकारी/
ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रमाणित)
2. पिता/पति का नाम :
3. व्यवसाय :
4. पता
(क) ससूचना के लिए
दूरभाष संख्या :
(ख) जहां संयोजन की अपेक्षा है : (स्थान की पहचान के लिए भूमि चिन्ह निर्दिष्ट करे)
दूरभाष संख्या
(ग) स्थायी पता :
दूरभाष सं० :
5. भू-खण्ड का आकार.....वर्ग फुट
आच्छादित क्षेत्र वर्ग फुट
6. कुल भार : के० डब्ल्यू/के०वी०ए०/एच०पी०.....
7. आपूर्ति का उद्देश्य
8. प्रक्रिया शुल्क का विवरण :
(क) धनराशि :
(ख) ढंग : चेक/ड्राफ्ट/नकद
(i) दिनांक :
(ii) बैंक का नाम :

(पचास किलोवाट से अधिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विद्युत आपूर्ति का अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा निम्नलिखित सूचना दी जानी है)

9. इकाई का प्रकार फर्म (अर्थात् स्वामित्व/भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/समिति/सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम)
10. औद्योगिक परिसर का विकास करने वाली संस्था का नाम(उदाहरण के लिए उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास समिति/स्वयं/औद्योगिक विभाग आदि)
11. कब्जा-पत्र या अनापति प्रमाण-पत्र.....जो संस्था द्वारा जारी की गयी हो (प्रति संलग्न) संख्यादिनांक
12. क्या आपूर्ति की आवश्यकता स्वतंत्र फीडर के माध्यम से है
13. क्या उक्त इकाई कभी किसी अन्य स्थान पर संचालित थी या संयोजन के लिए आवेदन की थी?(यदि हो कृपया निम्नलिखित सूचना दें)
(क) स्वीकृत भार
- (ख) सेवा संयोजन संख्या.....
- (ग) भुगतान का बकाया (यदि कोई हो)
- (घ) पता.....

14. यदि भूतकाल में परिसर के लिए विद्युत के संयोजन का अनुरोध किया गया था, यदि हाँ, तो विद्युत संयोजन का विवरण दें।
 - (क) इकाई का नाम
 - (ख) सेवा संयोजन संख्या.....
 - (ग) भुगतान का बकाया (यदि कोई हो)
15. वह उद्देश्य या प्रक्रिया जिसके लिए विद्युत भार की अपेक्षा की जाती है
16. प्रक्रिया की प्रकृति
17. (क) उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकरण संख्या : प्रति संलग्न की जाएगी)
 - (ख) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न की जाए).....
18. इकाई का वित्त पोषण करने वाले अभिकरण का नाम (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम/पिकप/बैंक/स्वयं कोई अन्य)
19. उत्पादन के प्रारम्भ का प्रस्तावित दिनांक
20. क्या पास-पड़ोस में और कोई इकाई कार्यरत है। यदि हाँ तो उसका नाम और पता दे.....
21. कृपया समीपस्थ विद्युत उपकेन्द्र का वोल्टेज अनुपात और क्षमता और इकाई से उसकी दूरी विनिर्दिष्ट करें

संलग्नक :

1. कार्य-पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट (बी० और एल० फार्म)।
2. परिसर के विधिपूर्ण अधिभोग के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य। यदि आवेदक परिसर का स्वामी नहीं है, तो अनुपतिधारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र संलग्न किया जाए।
3. कारखाना /उद्योग/परिसर/प्रतिष्ठान/गृह मानचित्र जहां आपूर्ति अपेक्षित है। मीटर बाक्स की अस्थाई स्थिति इंगित की जाए।
4. भुगतान की रसीद यदि नगद/चेक/ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो।
5. कम्पनी की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए निदेशक बोर्ड के उद्योग प्रस्ताव के मामले में।

टिप्पण—1. एम०डी०आई० मीटर रहित उपभोक्ताओं के मामले में घरेलू संवर्ग में संयोजित भार अनुबंधित भार का 200 प्रतिशत और वाणिज्यिक संवर्ग में अनुबन्धित भार का 133 प्रतिशत हो सकता है।

2. अपने हित में कृपया परिसर को खाली करने के पूर्व आप अपने विद्युत आपूर्ति को स्थाई रूप से वियोजित कराना सुनिश्चित करें और परिसर को खाली करने के पूर्व खण्ड से आपत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर।

3. विद्युत संयोजन को परिसर के स्वामित्व के सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा।

घोषणा

मैं/हम.....सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देता हूँ/ देते हैं कि :

- (क) मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते /करते हैं कि मैं/हम अनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ के दिनांकसे दो वर्षों से अन्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति लेने और इस प्रकार आपूर्ति ऊर्जा और टैरिफ आदेश में उपवर्णित दरों और अन्य सभी प्रकार का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ/ रखते हैं।
- (ख) मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित किन्हीं उपांतरणों सहित और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों का तथा इसके अन्तर्गत बनाई गयी नियमावली से बाध्य होने को सहमत हूँ/हैं।
- (ग) मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबन्धों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथित वितरण संहिता के निबंधनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दे।

- (घ) मैं/ हम आगे यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियंत्रण से परे हैं, उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- (ङ) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात् इस संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।
- (च) मैं/हम आगे इस बात पर सहमत है कि मेरे/हमारे द्वारा दिए गए इस घोषणा-पत्र को अनुज्ञप्तिधारी के साथ किए गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबंध की तरह समझा जाएगा।
- (छ) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन-पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य है। यदि कोई सूचना किसी पश्चात्वर्ती दिनांक पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिकारी को आपूर्ति रोक देने/काट देने, जैसी स्थिति हो, का अधिकार होगा।
- (ज) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपकरण में अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन या विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग नहीं है। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुज्ञप्तिधारी मुझे/हमें प्रदत्त ऊर्जा का उपयोग विधि और प्राधिकार के अनुसार किया जाता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी को समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार है कि उपकरण के अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन या विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग कोई ढंग है, तो अनुज्ञप्तिधारी का अभिहित प्राधिकारी सामान्य परीक्षण और उपकरण, मीटर और वायरिंग का परीक्षण करने के लिए परिसर पर प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (झ) मैं/हमारे विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 में विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देने का वचन देता हूँ/देते हैं कि जब कभी मैं उस परिसर को खाली करने का आशय रखूंगा, जिसके लिए विद्युत संयोजन ग्रहण किया जा रहा है।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान

(अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भरा जाएगा)

1. प्राप्त आवेदन की तारीख
2. स्वीकृत अनुबंधित भार
3. आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख
4. उपभोक्ता सं०/संयोजन सं०
5. मीटर सं०

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए श्री/श्रीमतीका आवेदन-पत्र, जो सभी सम्बन्धों में पूर्ण है/निम्नलिखित कमियां हैं,को प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में आवेदक को सभी भावी पत्राचार में प्रयुक्त किए जाने के लिए निर्देश सं०दिया जाता है।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर